2017/00373

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री लियाकत अली पुत्र स्व. अमरदीन खां जाति मुसलमान निवासी कोरियों का मौहल्ला पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 212/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

18.12.17

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 12.06.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब पत्रांक 1514 दिनांक 12.9.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना जिला पंजीयक अधिकारी, बीकानेर से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 926 दिनांक 14.6.17 द्वारा वास्ते सूचना प्रभारी अधिकारी एवं जिला पंजीयक अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, बीकानेर को प्रेषित किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में जिला पंजीयक, बीकानेर द्वारा पत्रांक 140 दिनांक 27.6.17 से सूचना प्रषित की गयी जो मूल ही उनके द्वारा पत्रांक 983 दिनांक 27.6.17 जरिये रजिस्टर्ड डाक आवेदक/अपीलार्थी को प्रेषित करदी गयी। कार्यालय स्तर पर आवेदक/अपीलार्थी को कोई भी सूचना अब अपेक्षित नहीं है। अतः अपील निरस्त फरमाई जावे।

4. इसके विपरीत अपीलार्थी द्वारा आपति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया कि अति. जिला कलक्टर एवं पजीयन द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु भेज दिया गया। उपखण्ड अधिकारी कोलायत द्वारा तहसीलदार, बज्जू के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर तहसीलदार, बज्जू के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी अपील द्वारा तहसीलदार, बज्जू के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत पर कार्यवाही करवाना चाहता है। सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत कार्यालय में उपलब्ध रेकर्ड की सूचना देने की हद तक सीमित अधिकार है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर